

प्रेषक,

रजिस्ट्रार,
उत्तराखण्ड नर्सिंग एण्ड मिडवाइज कौंसिल,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
श्री देव भूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
मझोन, पौधा वाया-प्रेम नगर, देहरादून।

पत्रांक : न.कौ./श्री देवभूमि/नर्सिंग/05/2020 पार्ट-3/ 1242 दिनांक 31 दिसम्बर, 2025
विषय : श्री देव भूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी मझोन, पौधा वाया-प्रेम नगर,
देहरादून के नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 को उत्तराखण्ड नर्सिंग एण्ड मिडवाइज
कौंसिल से अनुमति/सम्बद्धता प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

आपके प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत संचालित निम्न नर्सिंग पाठ्यक्रम को उत्तराखण्ड नर्सिंग एण्ड मिडवाइज कौंसिल से वर्ष 2025-26 सत्र हेतु अनुमति/सम्बद्धता निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

| क्र०स० | पाठ्यक्रम का नाम | निर्धारित सीट संख्या |
|--------|-------------------------------|---|
| 1 | जी०एन०एम० | 30 (Thirty) |
| 2 | बी०एस०सी० नर्सिंग | 60 (Sixty) |
| 3 | पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग | 30 (Thirty) |
| 4 | एम०एस०सी० नर्सिंग | 25 (Twenty Five) Medical Surgical Nursing-05, Community Health Nursing-05, Mental Health Nursing-05, Child Health Nursing-05 and Obs & Gyne-05 |

- संस्थान को उपरोक्तानुसार निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश की अनुमति होगी।
- संस्थान को उक्त निर्धारित सीटों में प्रवेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा।
- भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के निरीक्षण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में भारतीय उपचर्या परिषद् से सम्पर्क स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- संस्थान को डिग्री पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से एवं जी०एन०एम० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी से सम्बद्धता/अनुमति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।
- संस्थान का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकता है। यदि निरीक्षण में कमियां पायी जाती हैं, तो अनुमति/सम्बद्धता तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- प्रशिक्षण संस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/आदेश प्राप्त होंगे वे स्वतः ही संस्थान पर लागू होंगे एवं मान्य होंगे।
- यदि आवेदक भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली के नियमों/विनियमों/मानदंडों के अनुसार नर्सिंग स्कूल/कॉलेज के लिए नैदानिक और शिक्षण दोनों प्रकार की बुनियादी संरचना बनाने में विफल रहता है तो नर्सिंग परिषद् द्वारा नये प्रवेश को रोक दिया जायेगा।
- उक्त नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं अनिवार्य होगी।
- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लिये जाने से पूर्व प्रशिक्षणार्थियों के शैक्षिक योग्यता की उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा निदेशालय से समकक्षता का सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है।
- भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा समय-समय जारी की गई अधिसूचना/गाइड लाइन एवं नियमों के अनुसार संस्थान में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को पाठ्यक्रमानुसार चिकित्सालयों में प्रयोगिक, अभ्यासिक एवं क्लीनिकल ट्रेनिंग हेतु निर्धारित समय अवधि (Alloted hours) को पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

12. भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षणार्थियों को रेगुलर (नियमित) उपस्थिति होना अनिवार्य होगा। यदि कोई संस्थान नोन अटेडिंग पाठ्यक्रम संचालित करता है तो संस्थान के विरुद्ध लागू विद्यमान नियमों के तहत सम्बद्धता निरस्त करते हुए उक्त सूचना राज्य सरकार एवं भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली को की जायेगी।
13. भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के मानकानुसार टीचिंग फैकल्टी 1:10 के अनुपात में तथा उत्तराखण्ड नर्सिंग एण्ड मिडवाइवज कौंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
14. संस्थान को सामुहिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मानसिक चिकित्सालय पर अभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की जानी होगी एवं दो माह के अन्तर्गत उक्त सूचना कौंसिल कार्यालय को उपलब्ध करायी जानी होगी।
15. संस्थान को लैब्स को सुसज्जित करना होगा एवं लैब में आवश्यक उपकरण सम्बन्धी कमियों को पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दो माह के अन्तर्गत सूचना प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
16. संस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद् के नवीन मानकों के अनुसार एडवॉन्स स्कील लैब्स 02 माह में स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।
17. भारतीय उपचर्या परिषद् (नर्स पंजीकरण एवं लक्ष्यानुसरण प्रणाली – एनआरटीएस) विनियम, 2019 अधिसूचना दिनांक 07 मई, 2019 के आलोक में संस्थान में कार्यरत सभी टीचिंग फैकल्टी का एनआरटीएस पोर्टल पर पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा।
18. संस्थान में कार्यरत जिन टीचिंग फैकल्टी का उत्तराखण्ड नर्सिंग एण्ड मिडवाइवज कौंसिल में पंजीकरण नहीं है, उन्हें एक माह के अन्तर्गत उत्तराखण्ड नर्सिंग कौंसिल कार्यालय में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
19. उत्तराखण्ड शासन के अनापत्ति पत्र संख्या-433/XXVIII(6)/2020-01(Nursing)2020 दिनांक 15 सितम्बर, 2020, पत्र संख्या-I/79112/2022/XXVIII(6)/2022-(Nursing) दिनांक 28 नवम्बर, 2022 एवं पत्र संख्या-I/253332/2024 No. 414/XXVIII/E File No.-77706/2024 दिनांक 13 नवम्बर, 2024 में वर्णित समस्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
20. यदि नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान के भवन में नर्सिंग पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कोई नियमित कोर्स संचालित किया जाता है तो संस्थान के विरुद्ध लागू विद्यमान नियमों के तहत सम्बद्धता निरस्त करते हुए उक्त की सूचना राज्य सरकार एवं भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली को की जायेगी।
21. संस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली के मानकानुसार चिकित्सालय पर अभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
22. सम्बद्ध/पेरेंट चिकित्सालय को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
23. भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली द्वारा एंटी-रैगिंग के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी की गयी अधिसूचना, सर्कुलर एवं गाइडलाईन के अनुसार निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
24. उक्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अनुपालन न होने की दशा में संस्थान को निर्गत अनुमति/सम्बद्धता स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
25. प्रत्येक वर्ष अनुमति/सम्बद्धता विस्तारण हेतु निर्धारित शुल्क उत्तराखण्ड नर्सिंग एण्ड मिडवाइवज कौंसिल कार्यालय में वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल/मई में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

संस्थान को उक्त निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त शर्तों का पालन किये जाने पर ही वर्ष 2025-26 हेतु शैक्षणिक सत्र में प्रवेश हेतु अनुमति होगी।

भवदीय
(मनीषा ध्यानी)

रजिस्ट्रार

तददिनांकित।

पत्रांक : न.कौ./श्री देवभूमि/नर्सिंग/05/2020 पार्ट-3/
प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, चन्दर नगर, देहरादून।
3. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, आठवाँ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट न. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखवा फेज-1, नई दिल्ली - 110020।

(मनीषा ध्यानी)
रजिस्ट्रार